

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011
टेलीफोन नं0 2551330

रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्रपत्र एवं शर्तें

- (1) मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में वाल पेंटिंग्स एवं वाल राईटिंग कार्य
- (2) मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में डिजिटल वाल पेंटिंग कार्य

उपरोक्त कार्यों के लिए
रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित हैं

ऑफर प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 16.06.2022

समय अपरान्ह 3.00 बजे तक

ऑफर जमा करने की अंतिम तिथि 16.06.2022

समय अपरान्ह 3.30 बजे तक

प्राप्त ऑफर खोलने की तिथि 16.06.2022, अपरान्ह 4.00 बजे,

रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य 3,000/- रुपये

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011

वाल पेंटिंग, वाल राईटिंग एवं डिजिटल वाल पेंटिंग कार्यों के लिये
रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित है

मध्यप्रदेश माध्यम, को भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रदेश के समस्त जिलों में वाल पेंटिंग्स, वाल राईटिंग एवं डिजिटल वाल पेंटिंग कार्यों के लिये व्यावसायिक, प्रोपराईटरी/पार्टनर शिप फर्म अथवा कंपनी एक्ट में पंजीकृत एवं म.प्र. की प्रतिष्ठित अनुभवी फर्मों से (एन.जी.ओ. संस्थाओं को छोड़कर) निर्धारित प्रपत्र में रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित है। निर्धारित प्रपत्र दिनांक 16.06.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे तक म.प्र. माध्यम के कार्यालय से कार्यालयीन समय/दिनों में रूपये 3000/- नगद भुगतान (जिसकी वापसी नहीं होगी) कर क्रय किये जा सकते हैं। उक्त कार्यों के लिये कुल धरोहर राशि रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) का बैंक डिमॉड ड्राफ्ट जो मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से देय हो जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रपत्र में रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर दिनांक 16.06.2022 अपरान्ह 3.30 बजे तक मध्यप्रदेश माध्यम कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। प्राप्त ऑफर्स दिनांक 16.06.2022 को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित आफरकर्ताओं के समक्ष खोले जायेंगे। यह विज्ञापन म.प्र. माध्यम की वेबसाइट www.mpmadhyam.in पर भी उपलब्ध होगा। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर्स के संबंध में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का निर्णय अंतिम होगा एवं न्यायिक क्षेत्र-भोपाल रहेगा।

मध्यप्रदेश माध्यम को प्रदेश शासन/प्रदेश शासन के विभिन्न उपक्रमों/संस्थाओं/भारत सरकार/अन्य किन्हीं शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले प्रचार-प्रसार कार्यों के लिये दरों का निर्धारण, रेट कान्ट्रेक्ट करने, अनुभवी/सक्षम एवं निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली संस्थाओं (जे.वी. फर्म/ऑफर मान्य नहीं किया जायेगा) को सूचीबद्ध करने एवं प्राप्त होने वाले निम्नलिखित कार्यों/आयटमों के लिए रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये जाते हैं :-

- (1) प्रदेश के समस्त जिलों में वाल पेंटिंग्स एवं वाल राईटिंग कार्य
- (2) प्रदेश के समस्त जिलों में डिजिटल वाल पेंटिंग कार्य

उपरोक्त समस्त कार्यों के लिये कार्यानुभव की अवधि, टर्नओव्हर एवं धरोहर राशि निम्नानुसार होना अनिवार्य है :-

क्र.	कार्य	अनुभव (पिछले वित्तीय वर्ष)	औसत टर्नओव्हर (रू.)	धरोहर राशि (रूपये)
1.	वाल पेंटिंग एवं वाल राईटिंग	3 वर्ष	50.00 लाख पिछले निम्न वित्तीय वर्षों (वर्ष 2020-21, 2019-20, 2018-19)	5,00,000/- (पांच लाख)
2.	डिजिटल वाल पेंटिंग	1 वर्ष	50.00 लाख (वर्ष 2020-21, 2019-20, 2018-19)	

उल्लेख है कि कार्य कि विविधता एवं गुणवत्ता के कारण एमएसएमइ एवं एनएसआइसी पंजीकृत फर्मों को भी ईएमडी राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

(अ) वाल पेंटिंग एवं वाल राईटिंग कार्यों के लिये कार्यानुभव/कार्यों की राशियां :-

(1) फर्म द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम रूपये 15 लाख तक या उससे अधिक के कार्यादेशों के कार्य सम्पन्न करना अनिवार्य है। इसके लिये फर्म को प्राप्त कार्यादेश एवं जारी देयक, प्राप्त भुगतान का विवरण, उसके विरुद्ध जमा किये गये लागू टैक्स जैसे – GSTR-1 अथवा GSTR 3B एवं GSTR-9 (Auto Populated) की कापी एवं 26 AS कि छाया प्रति ऑफर के साथ संलग्न करना आवश्यक है। उक्त के संबंध में किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

(ब) डिजिटल वाल पेंटिंग कार्य के लिये कार्यादेश एवं राशियां :-

(1) फर्म के पास उक्त कार्य के अनुभव के लिये पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2020-21, 2019-20, 2018-19) में से किसी एक वित्तीय वर्ष में रूपये 05 लाख तक या उससे अधिक का एकमुश्त एक कार्यादेश होना अनिवार्य है। कार्यादेश, जारी देयक, प्राप्त भुगतान, जमा किये गये टैक्स का विवरण एवं दस्तावेज ऑफर के साथ संलग्न किया जाये। उक्त संबंध में कोई प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

वाल पेंटिंग एवं वाल राईटिंग एवं डिजिटल वाल पेंटिंग के लिये कार्य आदेश सिर्फ म.प्र. की प्रतिष्ठित फर्मों के ही मान्य किये जायेंगे।

(1) वाल पेंटिंग एवं वाल राइटिंग कार्यों के स्पेसीफिकेशन्स /विवरण /शर्तें

1. **(एक) वॉल राइटिंग :-** (अ) वाटर कलर/सामान्य कलर से केवल एक रंग में वॉल राइटिंग- संदेश, नारे लेखन (बिना बेस पेंटिंग) कार्य करना होगा।
(ब) ऑयल पेंट (आईएसआई मार्क) से केवल एक रंग में वॉल राइटिंग- संदेश, नारे लेखन (बिना बेस पेंटिंग) कार्य करना होगा।
(दो) वॉल पेंटिंग :- (अ) वाटर कलर/सामान्य कलर से कई रंगों में वॉल पेंटिंग कार्य, जिसमें बेस पेंटिंग करके, उसके ऊपर विभिन्न रंगों में वॉल पेंटिंग कार्य करना होगा।
(ब) ऑयल पेंट (आईएसआई मार्क) से डिजाइन्स के अनुसार कई रंगों में वॉल पेंटिंग कार्य जिसमें बेस पेंटिंग करके उसके ऊपर विभिन्न रंगों में वाल पेंटिंग कार्य करना होगा।
2. मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के नगरों एवं ग्रामों में ऐसे स्थानों पर जो वॉल पेंटिंग एवं वॉल राइटिंग के लिये उपयुक्त, प्रदर्शनीय हो और दूर से दृष्टव्य/पठनीय हो, पर आकर्षक रूप से उपयुक्त कलर से वॉल पेंटिंग/वाल राइटिंग करनी होगी। वॉल पेंटिंग/वाल राइटिंग के लिए ऐसे कलर का उपयोग करना होगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा समय तक उपयुक्त स्वरूप में बना रहे।
3. मध्यप्रदेश के ग्रामों/नगरों में प्रमुख मार्गों पर विभिन्न उपयुक्त स्थलों पर वॉल पेंटिंग/वाल राइटिंग कार्य करवाये जा सकते हैं।
4. वॉल पेंटिंग एवं वॉल राइटिंग के लिये लगने वाली समस्त सामग्री, नील, आयलपेंट, ब्रश, लेबर, पेंटर आदि की व्यवस्था एवं व्यय का उत्तरदायित्व ऑफरकर्ता का होगा।
5. वॉल पेंटिंग एवं वॉल राइटिंग कार्य के लिये वाहन/आवागमन, ठहरने, भोजन, पारिश्रमिक इत्यादि की व्यवस्था ऑफरकर्ता को करनी होगी।
6. वॉल पेंटिंग एवं वॉल राइटिंग ऐसे स्थानों पर करनी होगी, जहां किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया हो। जिन स्थानों पर वॉल पेंटिंग एवं वॉल राइटिंग के लिये स्थानीय प्रशासन/निजी व्यक्ति/संस्थाओं से अनुमति की आवश्यकता हो, तो उनसे अनुमति लेने का उत्तरदायित्व ऑफरकर्ता का होगा।
7. वॉल पेंटिंग एवं वॉल राइटिंग कार्यों के लिये प्रति वर्गफुट की दरें दी जाये। वाटर कलर/आयलपेंट की पृथक-पृथक दरें दी जाये।
8. वॉल पेंटिंग एवं वॉल राइटिंग की दरों के अतिरिक्त टैक्स पृथक से दर्शाया जाये।
9. वॉल पेंटिंग एवं वॉल राइटिंग कार्य के उपरांत वॉल पेंटिंग स्थलों के आदेशानुसार अपेक्षित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने होंगे। कार्यादेश के अनुसार वॉल पेंटिंग/वाल राइटिंग कार्य सम्पन्न किये जाने संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम/कस्बे/स्थान/नगर के लिए निर्धारित शासकीय कर्मचारी/जनप्रतिनिधि से एवं संबंधित विभाग के द्वारा अधिकृत संबंधित जिला कार्यालय/अधिकारी से प्राप्त करके म. प्र. माध्यम में प्रस्तुत करना होगा।
10. उपरोक्तानुसार समस्त कार्यों की दरें निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर दी जाये।
11. इस प्रपत्र में रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर के लिये जो अनिवार्य स्पेसीफिकेशन/विवरण एवं शर्तें दी गई है, उसके अनुसार केवल पात्र संस्थाएं उपरोक्त कार्यों के लिये रेट कान्ट्रैक्ट आफर प्रस्तुत कर सकती हैं।

(2) डिजिटल वाल पेंटिंग कार्यों के स्पेसीफिकेशन/विवरण/शर्तें

1. **(एक) डिजिटल वाल पेंटिंग :-** (अ) विनायल वाल फिल्म विथ लाईनर कलर से कई रंगों में वाल पेंटिंग कार्य, जिसमें बेस कलर सफेद करके, 1270 एमएम+ /3 एमएम त्रिथ में लेमीनेटेड वाल पेंटिंग कार्य करना होगा।
(ब) लेमीनेटेड - पोल्यमेरिक एमल्सन फिल्म पर 28 माईक्रोन्स + /3 एमआईसी थिकनेस में वेट 40 जीएसएम + /3 जीएसएम में डिजिटल वाल पेंटिंग कार्य करना होगा।
(स) लाईनर - सिलीकोनाइज्ड लाइनर टाईप में 95 जीएसएम + /-5 जीएसएम से स्मूथ एण्ड ग्लोसी वाल पेंटिंग कार्य करना होगा।
2. मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के नगरों एवं ग्रामों में ऐसे स्थानों पर जो डिजिटल वाल पेंटिंग के लिये उपयुक्त, प्रदर्शनीय हो और दूर से दृष्टव्य/पठनीय हो, पर आकर्षक रूप से उपयुक्त कलर से डिजिटल वाल पेंटिंग करनी होगी। डिजिटल वाल पेंटिंग के लिए ऐसे मटेरियल का उपयोग करना होगा, जो कि ज्यादा से ज्यादा समय तक उपयुक्त स्वरूप में बना रहे।
3. मध्यप्रदेश के ग्रामों/नगरों में प्रमुख मार्गों पर विभिन्न उपयुक्त स्थलों पर डिजिटल वाल पेंटिंग कार्य करवाये जा सकते हैं।
4. डिजिटल वाल पेंटिंग के लिये लगने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था एवं व्यय का उत्तरदायित्व ऑफरकर्ता का होगा।
5. डिजिटल वाल पेंटिंग कार्य के लिये वाहन/आवागमन, ठहरने, भोजन, पारिश्रमिक इत्यादि की व्यवस्था ऑफरकर्ता को करनी होगी।
6. डिजिटल वाल पेंटिंग ऐसे स्थानों पर करनी होगी, जहां किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया हो। जिन स्थानों के लिये स्थानीय प्रशासन/निजी व्यक्ति/संस्थाओं से अनुमति की आवश्यकता हो, तो उनसे अनुमति लेने का उत्तरदायित्व ऑफरकर्ता का होगा।
7. डिजिटल वाल पेंटिंग कार्यों के लिये प्रति वर्गफुट की दरें दी जाये।
8. डिजिटल वाल पेंटिंग की दरों में के अतिरिक्त टैक्स पृथक से दर्शाया जाये।
9. डिजिटल वाल पेंटिंग कार्य के उपरांत वाल पेंटिंग स्थलों के आदेशानुसार अपेक्षित फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने होंगे। कार्यादेश के अनुसार डिजिटल वाल पेंटिंग कार्य सम्पन्न किये जाने संबंधी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संबंधित ग्राम/कस्बे/स्थान/नगर के लिए निर्धारित शासकीय कर्मचारी/जनप्रतिनिधि से एवं संबंधित विभाग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला कार्यालय/अधिकारी से प्राप्त करके म. प्र. माध्यम में प्रस्तुत करना होगा।
10. उपरोक्तानुसार समस्त कार्यों की दरें निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर दी जाये।
11. इस प्रपत्र में रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर के लिये जो अनिवार्य स्पेसीफिकेशन/विवरण एवं शर्तें दी गई हैं, उसके अनुसार केवल पात्र संस्थाएं उपरोक्त कार्यों के लिये रेट कान्ट्रैक्ट आफर प्रस्तुत कर सकती हैं।

वाल पेंटिंग एवं वाल राईटिंग तथा डिजीटल वाल पेंटिंग कार्यों के लिये
रेंट कान्ट्रैक्ट ऑफर की अनिवार्य शर्तें

1. ऑफर प्रपत्र रू. 3,000/- के नगद भुगतान पर कार्यालय समय-दिनों में दिनांक 16.06.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे तक तक प्राप्त किये जा सकते हैं। ऑफर-प्रपत्र-दरें सीलबंद लिफाफे में निर्धारित धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित 16.06.2022 अपरान्ह 3.30 बजे तक इस कार्यालय में जमा करना होगा। प्राप्त ऑफर 16.06.2022 को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। म.प्र. माध्यम के प्रबंध संचालक को किसी भी ऑफर को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
2. ऑफरकर्ता के पास पैस, फर्म स्थापना/पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) का वर्तमान में नवीनीकृत प्रमाण-पत्र एवं फर्म पर लागू होने वाले सभी प्रकार के टैक्स पंजीयन प्रमाण-पत्र, एवं जी. एस.टी. नं. होना आवश्यक हैं। केवल व्यावसायिक प्रोपराईटरी, पार्टनर शिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत फर्म्स के ऑफर स्वीकार किये जायेंगे। एन.जी.ओ. फर्म्स के ऑफर मान्य नहीं किये जायेंगे। प्रचार कार्य सम्पूर्ण प्रदेश में सम्पन्न करने होंगे, इसलिए उक्त कार्यों के लिये ऑफरकर्ता फर्म का पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय/मुख्यालय म. प्र. में होना अनिवार्य है। उक्त दोनों प्रकार के कार्यों के लिये सूचीबद्ध होने पर ऑफरकर्ता फर्म को एक कार्यालय भोपाल में रखना होगा। **ऑफर के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्रों की फोटोप्रतियां अनिवार्य रूप से (संलग्न चेक लिस्ट के सरल क्रमांक के अनुसार) संलग्न की जाये एवं कार्य आदेश केवल म.प्र. की प्रतिष्ठित फर्मों के मान्य किये जायेंगे।**
3. एवरेज टर्नओवर के लिये आडिटेड बैलेंशशीट पिछले तीन वर्षों की 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 की लगानी अनिवार्य होगी। यदि फर्म आडिट किये जाने के सीमा में न हो तो उसे सनिधि लेखाकार (सी.ए.) द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र (प्रपत्र-'ई') संलग्न करना होगा।
4. ऑफरकर्ता संस्था में पर्याप्त अनुभवी एवं तकनीकी टीम होना अनिवार्य है।
5. मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा दी गई डिजाइन एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार संबंधित फर्मों को समय-सीमा में कार्य करना होगा। कार्य, कार्यादेश के अनुसार संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने एवं देयक प्राप्त होने एवं संबंधित ग्राहक से म.प्र. माध्यम के देयक का भुगतान प्राप्त होने के बाद भुगतान की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :-
(अ) वॉल पेंटिंग एवं वॉल राईटिंग तथा डिजीटल वाल पेंटिंग कार्यों के संबंध में कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने एवं देयक प्राप्त होने पर म.प्र. माध्यम के देयक का भुगतान प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।
(ब) सभी कार्यों के लिये अग्रिम भुगतान/पूर्ण भुगतान करने के लिये उपरोक्त शर्तों के साथ ही (संबंधित कार्य जिस विभाग/संस्था का होगा, उससे) म.प्र. माध्यम को प्राप्त अग्रिम भुगतान/पूर्ण भुगतान/संभावित भुगतान को भी ध्यान में रखकर म.प्र. माध्यम द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. यदि स्पेसीफिकेशन एवं कार्यादेश के अनुसार फर्म द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य नहीं किया जाता, तो कार्यादेश/कार्य पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्त किये गये कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. धरोहर राशि का किसी प्रतिष्ठित बैंक से बना बैंक ड्राफ्ट **“मध्यप्रदेश माध्यम”** के नाम से **भोपाल** में देय होगा। ऑफर के साथ सीलबंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कार्य के लिये अलग-अलग निर्धारित धरोहर राशि जमा करनी होगी। बिना धरोहर राशि के जमा किये गये ऑफर पर विचार नहीं किया जायेगा। जिन फर्मों की धरोहर राशि पूर्व से म.प्र. माध्यम के पास जमा है, उसे इस ऑफर के लिये मान्य नहीं किया जायेगा और अलग से इस नये ऑफर के साथ निर्धारित धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य है। (धरोहर राशि विवरण प्रपत्र-‘ए’)
8. यह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर है, जो कि सामान्यतः दो वर्ष/आगामी आदेश तक के लिये मान्य रहेगा, लेकिन आवश्यकता होने पर किसी भी समय इसे समाप्त किया जा सकता है अथवा इस अवधि को दोनों पक्षों की सहमति से किसी निश्चित तिथि तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
9. रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कितनी मात्रा में कार्य कराया जाना है और कार्य कितना कराया जायेगा, यह स्पष्ट करना संभव नहीं है। जैसे-जैसे प्रचार कार्य प्राप्त होंगे, निर्धारित दरों पर संबंधित फर्म से कार्य कराये जायेंगे। यदि प्रचार कार्य बहुत मात्रा/संख्या में/अल्प समय सीमा में करने होंगे तो ऐसी स्थिति में निर्धारित दरों पर किसी भी पंजीकृत अथवा अन्य फर्मों से सहमत होने की स्थिति में म.प्र. माध्यम द्वारा कार्य करवाये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी फर्म अथवा संस्था की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
10. विभिन्न कार्यों के लिये समय-समय पर जो कार्यादेश दिये जायेंगे, उनमें म.प्र. माध्यम/क्लाइन्ट्स की आवश्यकतानुसार विस्तृत विवरण, शर्तें एवं पूरक शर्तें दी जायेंगी। तदनुसार संबंधित पंजीकृत फर्म को कार्य करना होगा। कार्यादेश की सभी शर्तें फर्म को अनिवार्य रूप से मान्य करनी होगी अन्यथा कार्यादेश निरस्त किया जा सकेगा।
11. इस ऑफर के साथ दरें देने के लिए निर्धारित प्रपत्र-1 एवं 2 संलग्न है। इसलिए संबंधित कार्यों के लिये निर्धारित प्रपत्र में ही दरें दी जाये एवं (टैक्स विवरण टैक्स का प्रकार एवं प्रतिशत) पृथक से दर्शाया जाये।
12. ऑफरकर्ता द्वारा इस ऑफर की समस्त शर्तें मान्य होने की स्थिति में ही आफर इस कार्यालय में दिया जाये।
13. इस रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के अन्तर्गत किसी ऑफर को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम को होगा।
14. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर मध्यप्रदेश माध्यम के पंचाट अधिनियम के आर्बिटेटर सचिव/प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा और न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।

प्रबंध संचालक

उपरोक्त समस्त शर्तें ऑफरकर्ता को मंजूर है।

(ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर – दरों का प्रपत्र-एक

(1) मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में वॉल पेंटिंग एवं वाल राईटिंग कार्य के लिये दरें

<u>क्र.</u>	<u>विवरण</u>	<u>कार्य का समस्त व्यय, (टैक्स छोड़कर)</u> <u>दरें (प्रति वर्गफुट)</u>
1.	वाल राईटिंग कार्य :- (अ) <u>वाटर कलर/सामान्य कलर</u> से केवल एक रंग में वॉल राईटिंग-संदेश, नारे लेखन (बिना बेस पेंटिंग) कार्य करना होगा। (ब) <u>ऑयल पेंट (आईएसआई मार्क)</u> से केवल एक रंग में वॉल राईटिंग-संदेश, नारे लेखन (बिना बेस पेंटिंग) कार्य करना होगा।	(अ) रू. शब्दों में
2.	वॉल पेंटिंग :- (अ) <u>वाटर कलर/सामान्य कलर</u> से कई रंगों में वॉल पेंटिंग कार्य जिसमें बेस पेंटिंग करके, उसके ऊपर विभिन्न रंगों में वॉल पेंटिंग कार्य करना होगा। (ब) <u>ऑयल पेंट (आईएसआई मार्क)</u> से कई रंगों में वाल पेंटिंग कार्य, जिसमें बेस पेंटिंग करके उसके ऊपर विभिन्न रंगों में वाल पेंटिंग कार्य करना होगा। (स) <u>ऑयल पेंट (आईएसआई मार्क)</u> से कई रंगों में वॉल पेंटिंग कार्य जिसमें बेस पेंटिंग करके उसके ऊपर विभिन्न रंगों में डिजाइन के अनुसार (जिसमें कुछ रेखा चित्र/लोगो आदि शामिल होंगे) मल्टी कलर उत्कृष्ट गुणवत्ता की वाल पेंटिंग कार्य करना होगा।	(अ) रू. शब्दों में
3.	टैक्स का प्रकार (नाम)
4.	टैक्स का प्रतिशत
		ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर
		नाम
		फर्म की सील

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर – दरों का प्रपत्र-दो

(2) मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में डिजीटल वॉल पेंटिंग कार्य के लिये दरें

क्र.	<u>विवरण</u>	<u>कार्य का समस्त व्यय, (टैक्स छोडकर)</u> <u>दरें (प्रति वर्गफुट)</u>
-------------	---------------------	--

1. **डिजीटल वॉल पेंटिंग कार्य :-**

(अ) डिजीटल वॉल पेंटिंग कार्य
(डिजाइन के अनुसार)

(अ) रू.
शब्दों में

3. टैक्स का प्रकार (नाम)

.....

4. टैक्स का प्रतिशत

.....

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

फर्म की सील

12. फर्म का पिछले तीन/एक वर्ष का अनुभव निम्नानुसार होना अनिवार्य होगा :-
- | | |
|---|---|
| (1) वाल पेंटिंग एवं वाल राईटिंग कार्यों के लिये | पिछले 3 वित्तीय वर्ष का अनुभव |
| (2) डिजिटल वाल पेंटिंग कार्यों के लिये | पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से 1 वर्ष का अनुभव |
13. ऑफर्स के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 5.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक लगाना अनिवार्य होगा।

मैंने इस ऑफर के सभी नियम एवं शर्तें पढ़कर समझ ली है तथा सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ। मैं म.प्र. माध्यम द्वारा जारी रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर के विवरण एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। मैं समय-समय पर अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यों के संबंध में दिये निर्देशों का पालन करूंगा।

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

(फर्म की सील सहित)

टेलीफोन नं.

मोबाईल नं.

// प्रमाण – पत्र //

मैं / हम-----
 फर्म -----
 स्वयं के द्वारा संतुष्ट होने पर यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त फर्म -----
 शहर -----में पंजीकृत है। जिसका पेन नम्बर -----
 एवं जीएसटी नम्बर -----
 द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों 2020-21, 2019-2020 एवं 2018-19 की जी.एस.टी. रिटर्न
 उक्त फर्म ----- द्वारा फाइल किया गया है।

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	टर्नओवर	जी.एस.टी.आर. के अनुसार टर्नओवर

उपरोक्तानुसार फर्म द्वारा दी गई जानकारी एवं जी.एस.टी. सही है और उपरोक्तानुसार जानकारी से मैं पूर्णतः सहमत हूँ।

हस्ताक्षर.....

सील.....

नाम (सी.ए.).....

पता

.....

ऑफर के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-

सरल क्र.-1. धरोहर राशि का बैंक डिमॉड ड्राफ्ट प्रत्येक कार्यों के लिए अलग-अलग प्रतिष्ठित बैंक से बना, "मध्यप्रदेश माध्यम" के नाम देय।

संलग्न है/संलग्न नहीं है/-----/रिमार्क -----

सरल क्र.-2. फर्म का वर्तमान में नवीनीकृत लागू स्थापना/पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

संलग्न है/संलग्न नहीं है/-----/रिमार्क -----

सरल क्र.-3. फर्म पर लगने वाले सभी प्रकार के टैक्स पंजीयन एवं पैन नं. छायाप्रति।

संलग्न है/संलग्न नहीं है/-----/रिमार्क -----

सरल क्र.-4. फर्म के पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय/मुख्यालय/शाखा कार्यालय के पते के लिये आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति।

संलग्न है/संलग्न नहीं है/-----/रिमार्क -----

सरल क्र.-5. निर्धारित अवधि के अनुभव प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों की छायाप्रति।

संलग्न है/संलग्न नहीं है/-----/रिमार्क -----

सरल क्र.-6. प्रत्येक वित्तीय वर्ष का टर्नओव्हर के लिये निर्धारित अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्षों के सी. ए. से प्रमाणित बेलेंसशीट/दस्तावेजों एवं आयकर रिटर्न की छायाप्रति।

संलग्न है/संलग्न नहीं है/-----/रिमार्क -----

सरल क्र.-7. फर्म के बैंक खाते की सम्पूर्ण जानकारी संबंधित बैंक द्वारा प्रमाणीत

संलग्न है/संलग्न नहीं है/-----/रिमार्क -----

उपरोक्त दस्तावेज चेक लिस्ट के सरल क्रमांक अनुसार ही पताका लगाकर प्रस्तुत किया जाये।